<u>न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः—16 / 2022

कंवर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, जाति राजपूत, ब्राहम्ण, निवासी पचेरी कलां, पुलिस थाना पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज)

— अपीलार्थी

**बनाम**

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेंट

— — —

अपील अतंर्गत धारा 22 ( क ) प्राधिकार पत्र निरस्त करने डी0एस0ओ0 झुंझुनूं के आदेश दिनांक 25.01.2022 ।

— — —

उपस्थित : —

1. श्री संदीप सैनी, एडवोकेट — अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री विकास महला, विभागीय पैरोकार — रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**<u>आदेश</u>**

दिनांकः— 02.05.2022

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 25.01.2022 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार पूर्व मे जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया गया था उस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां अपील पेश की जिसमे दिनांक 13.09.2021 को निर्णय किया जाकर रेस्पोडेन्ट को इस आदेश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की गई थी कि जिला रसद अधिकारी अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने व अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण की पुनः जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करे तथा प्रकरण मे अन्तिम निर्णय तक अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल रखे व राशन वितरण का कार्य करने से न रोका जावे इस निर्णय पर पत्रावली रिमाण्ड की गई और डी0एस0ओ0 झुंझुनूं ने जिला कलक्टर झुंझुनूं के स्थानान्तरण होते ही दुबारा दिनांक 25.01.2022 को बिना कोई पूर्व सूचना बिना कोई जांच मात्र बदले की कार्यवाही के उद्देश्य से दिनांक 25.01.2022 को दुबारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने की भूल की है। इस प्रकार डी0एस0ओ0 के आदेश दिनांक 25.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है। अपीलान्ट को अपील मे सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है। रेस्पोडेन्ट मात्र बदले की कार्यवाही की दृष्टि से अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर रहा है। रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 13.09.2021 की पालना न कर कानूनी भूल की है और दुबारा अपना मनमाना आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित कर दिया जिसकी सूचना अपीलान्ट को जान बूझकर नही दी गई। चूंकि उक्त प्रकरण मे डी0एस0ओ0 स्वयं को अपने आप मे मनमाना बताया रहा है। डी0एस0ओ0 झुंझुनूं की कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि वह अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी रूप मे कार्यवाही करने पर आमादा है और उसी के चलते डी0एस0ओ0 झुंझुनूं ने न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं की पालना नही की और बिना कोई सूचना दिये ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्व है। अपीलान्ट के विरूद्व पूर्व मे व वर्तमान मे कोई भी मौके की जांच कर भौतिक निरीक्षण न कर मात्र प्राधिकार पत्र निरस्त का आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित कर दिया जबकि डी0एस0ओ0 झुंझुनूं को अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:31 IST
Reason: SelfAttested

छाया प्रति प्रमाणित

नोटिस देकर सूचना देनी थी कि वह निश्चित समय अवधि मे उपस्थित होकर साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करे। परन्तु रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कुछ भी नही किया और विधि विरूद्व आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित कर दिया। कानूनन माननीय न्यायालय झुंझुनूं जिला कलेक्टर द्वारा रिमाण्ड किये जाने का आदेश पारित किया जाता है तो डी0एस0ओ0 झुंझुनूं को उक्त जांच के संदर्भ मे दुबारा साक्ष्य सबूत एकत्र कर मौका निरीक्षण कर व भौतिक निरीक्षण कर प्राधिकार पत्रधारी को शिकायत से अवगत कराकर नोटिस जारी कर उसको प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का पालन करने हेतु प्राधिकार पत्रधारी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने के लिए नोटिस जारी करे और विधिपूर्वक निष्पक्ष जांच कर आदेश पारित करे। परन्तु उक्त प्रकरण मे डी0एस0ओ0 झुंझुनूं द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नही किया गया है मात्र अपना रवैया रखते हुए अपने पद का घमण्ड दिखाते हुए माननीय न्यायालय के आदेश को ताक पर रखते हुए विधि विरूद्व कार्यवाही करने पर आमादा है। उक्त प्रकरण मे शिकायतकर्ता सन्दीप शर्मा स्वयं निलम्बित लाईसेन्सधारी है जो अपीलान्ट से ईष्या रखता है और मात्र राशन कार्ड की फोटो प्रति को आधार मानकर डी0एस0ओ0 झुंझुनूं ने उक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्व की है। किसी साक्ष्य ( गवाह ) के बयान लिये जाकर प्रमाणीकरण नही किया गया और जो गवाहान बताते है उनकी शिकायत नही है और उन सभी ने अपीलान्ट के पक्ष मे बयान दिये है फिर भी रेस्पोडेन्ट डी0एस0ओ0 झुंझुनूं अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करने पर आमादा है। अपीलान्ट को डी0एस0ओ0 झुंझुनूं के कार्यालय आदेश दिनांक 25.01.2022 की कोई सूचना नही दी गई। रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 25.01.2022 का अपीलान्ट को तब पता लगा जब उचित मूल्य दुकानदार दयानन्द पचेरी खुर्द पोस नम्बर 11694 ने अपीलान्ट को उक्त सूचना दी और बताया कि दिनांक 02.02.2022 से उसे राशन वितरण हेतु अस्थाई रूप से अधिकृत किया जाता है। जबकि अपीलान्ट के पास राशन वितरण व सामग्री का उठाव जारी रहा था और डी0एस0ओ0 झुंझुनूं ने अपीलान्ट को कोई भी सूचना नही दी और मात्र कार्यालय मे बैठकर स्वतः ही कार्यवारही करली जो कि डी0एस0ओ0 झुंझुनूं को मनमाना रवैया रहा है। इस कारण डी0एस0ओ0 झुंझुनूं के आदेश दिनांक 25.01.202 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। चूंकि रेस्पाडेन्ट की समस्त प्रकिया आलौच्याधीन व दूषित प्रकिया है। रेस्पोडेन्ट आदेश दिनांक 25.01.2022 गलत व अधारहीन व विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 25.01.2022 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व उक्त प्रकरण मे शिकायतकर्ता सन्दीप शर्मा जो कि पूर्व मे उसी क्षेत्र मे राशन डीलर रहा है और उसके विरूद्व गंभीर अनियिमितता के कारण उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कियया गया है। उक्त संदीप शर्मा ने अपीलान्ट के विरूद्व झूंठी शिकायत की है। क्योंकि वह अपीलान्ट से रंजिश रखता है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना किसी जांच के उक्त आदेश दिनांक 30.06.2021 पारित किया है। दिनांक 29.06.2021 को शिकायतकर्ता द्वारा कुछ राशन कार्डो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई और अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य न ली जाकर काल्पनिक तथ्य के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित कर दिया जो कि गलत आदेश है। रेस्पोडेन्ट ने मौके पर भौतिक जांच नही की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:31 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के विरूद्व राज सम्पर्क पर शिकायत प्राप्त हुई थी। अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जांच करने के लिए टीम गठित कर जांच की गई थी एवं उपभोक्ताओं के मौके पर बयान लिये गये थे। अपीलान्ट ने 170 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसके संबंध मे उसके विरूद्व एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई थी। अपीलान्ट ने राशन कार्डों मे फर्जी नाम जोडकर वास्तविक संख्या

छाया प्रति प्रमाणित

के आधार पर तो राशन का वितरण कर दिया परन्तु अधिक दर्ज यूनिट कर ऑनलाईन वितरण अधिक दिखाकर 170 क्विंटल गेहूं का गबन किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने अपने बचाव मे कोई कोई जबाब पेश नही किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण मे गबन किया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में विभागीय प्रतिनिधि का कथन उचित प्रतीत होता है कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जांच टीम गठित कर की गई थी एवं उपभोक्ताओं के मौके पर बयान लिये गये थे। अपीलान्ट ने 170 क्विंटल गेहूं का गबन किया है जिसके संबंध मे उसके विरूद्व एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई थी। अपीलान्ट ने राशन काडों मे फर्जी नाम जोडकर वास्तविक संख्या के आधार पर तो राशन का वितरण कर दिया परन्तु अधिक दर्ज यूनिट कर ऑनलाईन वितरण अधिक दिखाकर 170 क्विंटल गेहूं का गबन किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने नोटिस का कोई जबाब पेश नही किया है। ऐसी अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड अदालत मातहत के जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:31 IST
Reason: SelfAttested